राजस्थान सरकार
कार्मिक (क–3/जांच) विभाग

क्रमांकः प.1(121)कार्मिक/क–3/जॉच/2021 जयपुर, दिनांकः 06 SEP 2021

आदेश

श्री हिम्मत अभिलाष टाक, आई.पी.एस., तत्कालीन पुलिस अधीक्षक, जिला सिरोही, हाल प्रिन्सीपल, पुलिस ट्रेनिंग सेन्टर, किशनगढ, जिला अजमेर के विरूद्व विभागीय जॉच कार्यवाही विचाराधीन है।

अतः राज्य सरकार अखिल भारतीय सिविल सेवाऐं (अनुशासन एवं अपील) नियम, 1969 के नियम–3 के उप नियम (1) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री हिम्मत अभिलाष टाक, आई.पी.एस., तत्कालीन पुलिस अधीक्षक, जिला सिरोही, हाल प्रिन्सीपल, पुलिस ट्रेनिंग सेन्टर, किशनगढ, जिला अजमेर को तुरंत प्रभाव से निलम्बित करने के एतदद्वारा आदेश प्रदान करती है।

श्री हिम्मत अभिलाष टाक, आई.पी.एस., का निलम्बन काल के दौरान मुख्यालय महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर के कार्यालय में रहेगा।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(अनुपम कायल)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. सचिव, माननीय राज्यपाल, राजस्थान, जयपुर।
2. प्रमुख सचिव/विशिष्ट सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान जयपुर।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान जयपुर।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, कार्मिक विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर को प्रेषित कर निवेदन है कि श्री हिम्मत अभिलाष टाक, आई.पी.एस.(निलम्बित) को निलम्बन काल में रखी गई उपस्थिति पंजिका में उपस्थिति दर्ज करने हेतु निर्देशित करें। उन्हें यह भी निर्देश प्रदान करें कि वे अपना मुख्यालय आपकी पूर्व अनुमति के नहीं छोड़े। उन्हें निलम्बन काल में अवकाश वेतन के बराबर उस सीमा तक यदि वे अर्द्धवेतन अवकाश पर रहते, तो ऐसे वेतन के बराबर निर्वाह भत्ता एवं अन्य भत्ते देय होंगे।
6. शासन संयुक्त सचिव, कार्मिक (क–1) विभाग को श्री हिम्मत अभिलाष टाक, आई.पी.एस. (निलम्बित) के निलम्बन आदेश की प्रति संलग्न कर लेख है कि कृपया उक्त निलम्बन आदेश श्री हिम्मत अभिलाष टाक, आई.पी.एस.(निलम्बित) को तामील कराकर प्राप्ति रसीद शीघ्र इस विभाग को भिजवाने की व्यवस्था करावें।
7. संयुक्त शासन सचिव, गृह (ग्रुप–1) विभाग को उनकी अशा टीप क्रमांक प.14(24)गृह–1/2021 दिनांक 04.09.2021 के सन्दर्भ में।
8. श्री हिम्मत अभिलाष टाक, आई.पी.एस.(निलम्बित)
   द्वाराः– शासन संयुक्त सचिव
   कार्मिक (क–1) विभाग।
9. कार्मिक (क–1/गो.प्र.) विभाग, राजस्थान जयपुर।
10. कोषाधिकारी, अजमेर/जयपुर।
11. कम्प्यूटर सैल, कार्मिक विभाग।
12. रक्षित पत्रावली।

06/09/2021
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि :– सचिव, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

शासन उप सचिव